निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 200/2018 **दिनांक : 18.04.2022**

अनवान

रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति ब्राहमण मृतक के बजाय :–

1. कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
2. भेरूलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
3. सुरेश पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
4. श्रीमति भारतीदेवी पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
5. श्रीमति चन्द्रकला पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
6. श्रीमति विमला पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
7. श्रीमति निर्मला पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।
8. श्रीमति भागवती पत्नि रामचन्द्र जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करोली तहसील भदेसर।

.....वादीगण

।। बनाम।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये राजस्व सचिव महोदय सचिवालय जयपुर।
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़।
3. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौडगढ़ (राज)।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित – 1 **श्री औंकार लाल रायका वकील वादीगण की ओर से।**
2 पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अंतर्गत आदेश 07 यम 01, 02 व्य. प्र. संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी ग्राम करोली तहसील भदेसर का स्थाई निवासी होकर संयुक्त राजस्थान के नाम से राज्य के पुनर्गठन से पूर्व ग्वालियर स्टेट के उप जमींदार लक्ष्मण पिता जसराज जी ब्राह्मण निवासी करौली का एकमात्र वारिस है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

2. यह कि तत्तकालीन ग्वालियर स्टेट को प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था अंतर्गत ग्राम करौली को ब्राह्मणो (श्रीमाली) के 18 परिवारो की संयुक्त जमींदार प्रथा से पूरे ग्राम करोली की व्यवस्था सम्पन्न होती रही है, वादी के पिता भी उन जमीदारो में से एक रहे है।

3. यह कि ग्वालियर स्टेट की तत्कालीन उक्त राजस्व इन्द्राज व्यवस्थाओं के दौरान ही ग्राम करोली में अंतिम भू प्रबंधकीय प्रविष्टि अंकन संवत 1993 सन 1932–33 के आस पास सम्पन्न हुआ जो आज भी ग्राम करौली तहसील भदेसर की जमाबंदी की चालु प्रविष्टि में कायम हुआ है। तत्कालीन जमीदारान वादी के पिता लक्ष्मण जी व अन्य के नाम पर निम्न कृषि आराजीयात दर्ज व अंकन के रूप में अंकन रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आ.नं.	रकबा	तत्कालीन खातेदारी इन्द्राज	मौजूदा राजस्व अंकन
1	509	1 बीघा 19 बिस्वा	किशनलाल, खेमराज वगैरह	शंकर डालु भील व बिलानाम सरकार
2	511	1 बीघा 1 बिस्वा	रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जी ब्राम्हण	नारू पिता मोती भील बिलानाम मि.न.6/90 दावा 175 आर.टी.ए.स
3	513	1 बीघा 15 बिस्वा आ0न0 688 से सिंचित	किशनलाल ,खेमराज, लक्ष्मण पिता जसराज	बिलानाम साराकार मोडा/नन्दा सुथार
4	517	2 बीघा 5 बिस्वा	लक्षमण पिता जसराज नारू पिता मोती मयादी कृषक	बिलानाम सरकार रोडा भील अनाधिवासी
5	523	2 बीघा 5 बिस्वा	किशनलाल पिता हेमराज ब्राह्मण जागीदार	बिलानाम सरकारी
6	689	1 बीघा 1 बिस्वा	किशनलाल पिता हेमराज	शंकर माधु ,डालु पिता तारिया भील सरकार बनाम तारिया भील प्र0सं0
7	712	2 बीघा 16 बिस्वा	उप जमींदारान की संयुक्त चपनोई	बिलानाम सरकार

किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

किं वादी एवं उपजमीदारान की वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित भूमि समेत उनकी समस्त अन्य कृषि सम्पतियों को राज्य सरकार ने जागीर अधिग्रहण अधिनियम के तहत छोटी जागीर की समस्त भूमियों दिनांक 15.01.1960 के गजट नोटीफिकेशन के प्रभावी होते हुए ही अधिग्रहित कर दी केवल जमीदारान के निजी भूमियों की प्रविष्टियों वाली भूमि की खातेदारान् के नाम कायम रही है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में दर्शायी गई भूमि में से आ. न. 509 ,513,523, 689 किता 4 रकबा 7 बिघा 9 बिस्वा भूमि बिल एवंज 1202/—रूपयो में संवत 2016 माघ सुदी 1 वादी ने क्रय की व पट्टा लिखतम (विक्रय पत्र) प्रचलित प्रथानुसार वादी की बही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाली में लिखतम करा ली जो असल ही पेश है ।

यह कि इसी प्रकार आ0 न0 692, 712 किता 2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खातेदार भंवरलाल महाजन निवाी चिकारडा से बिल एवंज 42मे वादी ने क्रय की है। आ. न. 511, 617 के खातेदार कृषक (जमींदार) वादी के पिता लक्ष्मण जी ही थे। इस प्रकार कुल 13 बीघा 12 बिस्वा वादी के स्वामित्व की जागीर अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व क्रय आदि से उसके खातेदारी की दर्ज व कायम होनी चाहिये व उक्त आराजियात किता 8 रकबा 12 बिस्वा का खातेदार कृषक था और अब भी खातेदार रहे, इस बावत घोषणा पत्र वाद पेश हैं।

यह कि तत्कालिन जागीर प्रथानुसार ग्वालियर स्टेट के टिनेन्सी राइट्स व मौजुदा रा. टि. एक्ट के प्रावधानों में मूल रूप से यही अंतर है कि जमाबन्दी जागीर भूमि में उपकृषक का नाम यद्यपि अंकित होता है मगर वह अंकन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कायम उपकृषक की भांति स्वात्वाधिकार उन्है क़तई पैदानही करता है। क्यो कि लगान कि अदायगी में भी सुविधा कायमों तक ही ठेका सिस्टम से कृषक का नाम लगाया जाने का रिवाज रहा है, जमीदार ही आलामालिक का कृषक भूमिधारी ही होता है।

यह कि जागीर रिजम्पसन के पश्चात जब ग्राम करौली राजस्थान राज्य में आया तो पहले तहसील डुगंला में रखा गया व उसके पश्चात बिना किसी रिकॉर्ड परिवर्तन के तहसील भदेसर में पटवार हल्का आाकोलागढ मे सम्मिलित कर दिया गया जो वर्तमान में भी कायम है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित चार्ट की समस्त कृषि भूमि आ. न. 688 से सिंचित भूमि है जो वादी के एक मात्र स्वत्वाधिकार की ही है ये सभी कृषि आाराजियात वादी के खातेदारी की अन्य आराजियात व आ0चा0 व88 के बी.चौ बीच इस कदर अवस्थित है कि स्वयं वादी भी अपने खेत में पानी का धोरा नही ले जा सकता है न वादी इन आराजियात को

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

छोडते हुए अपने आ0 चा0 न0 688 पर पहुच ही सकता है वादी यूनिट रूप में इस कुए पर इन सभी च0 सं0 3 वाली भूमि पर निरन्तर खातेदार की हेसियत से काश्त करता चला आ रहा है

9–यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित कृषि आराजियात के पडोस निम्न प्रकार है

(1)(आराजी न0 509)सिंचित 688 सें

पूर्व– आ0न0 508, खातेदार वादी रामचन्द्र

पश्चिम– आ0 न0 688 खातेदार वादी रामचन्द्र

उत्तर– आ0 न0 510 खातेदार रामचन्द्र

दक्षिण– आ0 न0 690, 691 खातेदार रामचन्द्र

(2) आराजी न0 511 (सिंचित 688)

पूर्व–भंवरलाल महाजन

पश्चिम– आ0 न0 513 सरकारी भूमि

उतर– आ0 न0 507 खातेदार रामचन्द्र

दक्षिण– 512 प्याराभील के नाम (आ0 न0 688 से सिंचित)

(3) (आराजी नम्बर 513) , (आ0 न0 688 से सिंचित)

पूर्व– आ0 न0 511 बिलानाम सरकार

पश्चिम– आ0 न0 514 खातेदार रामचन्द्र वादी

उतर – आ0 न0 515 खातेदार रामचन्द्र वादी

दक्षिण– आ0 न0 510 खातेदार रामचन्द्र वादी

(4) आराजी न0 517 (सिंचित न 688)

पूर्व– बिलानाम सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

पश्चिम – आ0 न0 515,516 खातेंदार वादी

उतर– भुवानसिंह

दक्षिण – आ0 न0 512

(5) आ0 न0 523 (सिंचित न0 688)

पूर्व– आ0 न0 515 , 516 खातेदार वादी रामचन्द्र

पश्चिम– गाडरी के नाम दर्ज

उतर– आ0 न0 522 खातेदार वादी

दक्षिण – आ0 न0 686 , 687 खातेदार रामचन्द्र

(6) आ0 न0 689 पडोस

पुर्व– आ0 न0 688

पश्चिम– रास्ता आबादी

उतर– आ0 न0 688 रामचन्द्र खातेदार

दक्षिण – आ0 न0 690 खातेदार रामचन्द्र

(7) आ0 न0 712 के पडौस (असिंचित)

पूर्व –गणेशदास का खेत

पश्चिम– आ0 न0 691रामचन्द्र वादी

उतर– भंवर लाल महाजन

दक्षिण–आ0 न0 711 खातेदार(रामचन्द्र)

उपरोक्त पडौसान के मध्य अवस्थित कृषि आराजियात जिसका विस्तृत विवरण वादपत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज किया गया है ग्राम करौली की चालु जमाबन्दी में बिलानाम अंकित करके बाद शासनीय कार्यवाहियों में अतिक्रमी मानते हुए वार्षिक ठेके की रकम के नाम से पैलेन्टी की राशि

उपखण्ड अधिकारी
जिला–चित्तौड़गढ़

14– यह है कि मामला राज्य सरकार के राजस्व विभाग व अधीनस्थ कार्यालयो के आदेशो की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित रहने से घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती के वाद संस्थिति के पुर्व प्रतिनिधियों ने सरकार को आवश्यक पक्षकार कायम करके धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत नोटीस दिनांक 26.11.1998 को सर्व किया गया नोटीस सर्व हो जाने के पश्चात भीराज्य सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही दुरस्ती रेकॉर्ड न करने से बाद मयाद यह वाद पत्र पेंश है।

15– यह है कि भूमि व पक्षकारान प्रतिनिधियान माफिक बिनाय दावा तहसील भदेसर क्षैत्र से सम्बन्धित होने से सह वाद पत्र समायत अदालत आप है।

16– यह है कि वाद पत्र अन्दर मयाद होकर पेंश है।

17–यह कि नकल दावा मय सम्मन प्रोसेस के पेंश हैं

18– अतः प्रार्थना है कि

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेंखित कृषि भूमि ग्राम करौली तहसील भदेसर बाबत खातेदारी घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावें।

(ब) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मौजुदा इन्द्राज वाके ग्राम करौली वर्णित प्रकरण संख्या 3 सरकारी को दुरस्त किया जाकर खातेदारी हक में अकित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

(स) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित अराजीयात बावत अतिक्रमण आदि की कार्यवाही न करने व पैलेन्टी की रकम वसूलने , बेदखली आदि की कार्यवाही न करावे। इस बावत निषेधाज्ञात्मक निषेधाज्ञा फरमावे।

(द) खर्चा मुकदमा, वकिल महंताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलया जावे।

(य) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हितकर हो प्रतिवादीगण के विरूद्ध धरा 209 आर0टी0 एक्ट के तहत दिलाया जावै।

प्रकरणजांच बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियेसम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण में प्रतिवादी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया, पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत हुई जिसमें वादी अपने वाद की ताहिद में गवाह रामचन्द्र ,गणेश दास, नारायण सिंह, शंकर लाल, नारायाण लाल, श्रवण सिंह, एवं चान्द मल के शपथ पत्र अलग अलग पेंशियो में पेंश करते हुए अपनी साक्ष्य पूर्ण की जिनसे पेराकार सरकार द्वारा जिरह की गई। वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये

1. भंवर लाल, मीठु लाल पिता फुलचन्द से खरीद की थी जिसकी लिखा पढी प्रदर्श 1 जिसकी फोटो प्रति ए–1 है।
2. किशनलाल पिता हेमराज जी जिनसे जमीन खरीदी गई थी जो प्रर्दश–2 है।
3. ग्राम करौली खाता संख्या 124 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–3 है।
4. नक्शा ट्रेस प्रर्दश–4 है।
5. ग्राम करौली खाता संख्या 122 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–5 है।
6. ग्राम करौली खाता संख्या 131 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–6 है।
7. ग्राम करौली खाता संख्या 48 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–7 है।
8. ग्राम करौली खाता संख्या 17 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–8 है।
9. ग्राम करौली खाता संख्या 89 जो प्रर्दश–9 है।
10. ग्राम करौली जमाबन्दी नकल संवत 1993 जो प्रर्दश–10 है।
11. ग्राम करौली खाता संख्या 1 संवत 2053–56 जो प्रर्दश–11 है।
12. ग्राम करौली संवत 2016–19 नकल प्रर्दश 12 है।
13. ग्राम करौली संवत 2013–16 जो प्रर्दश–13 है।

प्रतिवादी को कई अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवदीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेंश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस अंतिम मे नियत की गई।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी जो कि तत्कालिन ग्वालियर स्टैट में जमींदार होकर उनके द्वारा उनको जारी की गई बही जो जमीन जायदाद का पूरा लेखा जोखा रखते हुए क्रय विक्रय का इन्द्राज भी बही में किया जाता था उसी के आधार पर वादीगण के पिता द्वारा उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजियात को रिकॉर्डेट प्रतिफल अदा करते हुए क्रय किया तब से लगाकर आज तक वादीगण उपयोग उपभोग कर रहै है तथा अधिवक्ता ने पत्रावली में सलग्न दिनांक 09.11.1963 का कार्यालय जिलाधीश चित्तौडगढ के पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जिला–चित्तौड़गढ

भी निवेदन करते हुए बताया कि जिलाधीश महोदय द्वारा भी पत्र जारी कर यह निर्देश दिया कि अन्य कृषक रिजम्पशन के समय या उसके पश्चात उस पर बदस्तूर काबिज हो तो काबिज दार इन्द्राज किया जावें तथा इसके साथ ही अधिवक्ता वादी ने यह भी निवेदन किया कि इसी प्रकार प्रकरण में इसी गांव की आराजियात के लिये माननीय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहैडा द्वारा वाद वीकार किया गया जिसकी प्रति भी पत्रावली में सलग्न है तथा धारा 63 (1) (4) आर0टी0 एक्ट के ावधान भी उक्त प्रकरण पूर्ण रूप से लागु होता है, जिसकी ताईद पत्रावली में संलग्न पैलन्टी रसीदो साबित है वादी अधिवक्ता ने दोराने बहस यह भी निवेदन किया कि जो भूमि अधिग्रहण की गई स श्रेणी में उक्त आराजियात नही आ रही थी मात्र भू– प्रबधंकीय प्रविष्टि में त्रुटीवश वादी का नाम र्ज नही हुआ क्यो कि उक्त आाजियात के आलावा वादी के पास और कोई आराजियात भी नही थी ो कि अधिक आराजियात होने के कारण अधिग्रहण करली हो जबकि उक्त आराजियात में से कुछ राजी वादीगण के पूर्वज लक्ष्मण जी के नाम थी और शेष आराजी उनके द्वारा प्रतिफल अदा करते ुए क्रय की गई थी ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात को वादीगण के खाते से विलोपित करने का कोई अधिकार नही होते हुए भी सहवन से भू– प्रबधंकीय कमेंटी द्वारा वादीगण के पूर्वज लक्ष्मण जी के नाम पर दर्ज नही कर गंभीर त्रुटी की है एसी स्थिति में उक्त आराजियात को पुनः वादीगण के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। साथ ही उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर का सन् 2021 (2) आर. आर. टी. 1447 एवं 2020 (1) आर.आर0टी 37 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि रेवेन्यु बोर्ड द्वारा जारी उक्त दोनो आदेश उक्त वाद पत्र पर पुर्ण रूप से चस्पा होते हुए तथा दोराने बहस वकिल वादी ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाब भी पेंश नही हुआ है यदि ऐसा कोई प्रतिवादीगण के पास आधार होता तो पर्याप्तअवसर मिलने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करना अपने आप वाद सुदृढ होने की ताईद होती है तथा लम्बे समय तक न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बावजुद भी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से भी यह साबित है कि वादी का वाद अखंडनीय होकर सुदृढ एंव कठोर होकर वादी के पक्ष में साबित है। यहां तक कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत गवाहों से प्रतिवादीगण की ओर से जो जिरह की गई वह भी अखंडनीय होकर उल्टा वादी के वाद की ताईद हुई है। ऐसी स्थिति में वाद मे प्रस्तुत समस्त दस्तावेज, साक्ष्य एव उक्त वाद पर चस्पा होने वाले न्यायिक दृष्टान्त जो मेरे द्वारा प्रस्तुत माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर का सन् 2021 (2) आर. आर. टी. 1447 एवं 2020 (1) आर.आर0टी 37 भी उक्त वाद को वादी के पक्ष मे साबित करते है दोराने बहस अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलावा भी रेवेन्यु बोर्ड

उपखण्ड अधिकारी
जिला–चित्तौड़गढ

श जारी आदेश 1993 आर.आर.डी 178, 1977 आर.आर.डी 479, 1994 आर.आर.डी 98, 1986 आर. .डी. 411उक्त न्यायिक दृष्टान्त भी उक्त वाद पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इसके आलावा केल वादी ने निवेदन किया कि वादीगण के पास और कोई आराजियात नही है वादीगण काफी ोब होकर उक्त आराजियात के आलावा आजिविका का और कोई साधन वादीगण के पास नही है र वादीगण का वाद पूर्ण रूप से वादी के पक्ष में साबित है अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाते हुए क्त आराजियात को पुनः वादीगण के नाम पर दर्ज करने का आदेश प्रदान करते हुए प्रतिवादीगण ो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

सके विपरित सरकार जरिये पैरोकार वादी का वाद खारीज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रवली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया बहस भयपक्ष पर मनन किया गया सार रूप में वादी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को एवं पत्रावली पर पलब्ध दस्तावेजो में एक रस्ता है और वादी की ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान वलोकन करने से उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त वाद पर चस्पा होने से उक्त न्यायिक दृष्टान्त से र्ग दर्शन प्राप्त करने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझतें है इसके विपरित रकार जरिये पैरोकार द्वारा अपनी बहस ऐसा कोई तथ्य पेंश नही किया जो कि वाद खारीज किये ाने की ताईद करता हों। पत्रावली के सम्पुर्ण अवलोकन से यह साबित हुआ है कि वादीगण ने पुर्ण रूप से वाद के प्रारम्भ से पुर्व नियमानुसार प्रतिवादीगण को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटीस भी दिया या, जिसका भी वाद के खण्डन के रूप में कोई जवाब प्रतिवादीगण की ओर नही किया गया तथा ोराने वाद प्रतिवादीगण की ओर से जवाब व साक्ष्य भी पेंश नही की गई इस प्रकार से सम्पुर्ण अवलोकन से वादीगण का वाद अखण्डनीय होकर स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और स्थाई निषेधाज्ञा के दाद आवश्यक प्रतीत नही होने से खरीज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण डिक्री किया जाता हैकि ग्राम करौली पटवार आकोलाकलां, तहसील भदेसर की पुराने आराजी नम्बर 509 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 511 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 513 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 517 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 688 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 712 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर क्रमशः 859 रकबा 0.41 हैक्टैयर आ0 न0 851 रकबा 0.22 हैक्टेयर आ0 न0 852 रकबा 0.37 हैक्टेयर आ0 न0 848 रकबा 0.26 हैक्टैयर आ0 न0 864

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर (चित्तौड़गढ़)

रकबा 0.17 है0 आ0 न0 861 रकबा 0.31 है0 आ0 न0 910 रकबा 0.59 है0 दर्ज हुए जिनको वर्तमान माबन्दी प्रविष्टी में दर्ज अंकन धारक नाम को विलोपित करते हुए उसके बजाय वादीगण के नाम वक्त वर्णित आराजियात को दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा इक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18.04.2022 को सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़